"भारत गौरव" अभियान

❑ राजनैतिक ❑ प्रशासनिक ❑ सामाजिक सुधार के लिये समर्पित

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड़,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

प्रति,

महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी जी
भारत के राष्ट्रपति,
नई दिल्ली

प्रति,

माननीय श्री मनमोहन सिंह जी
प्रधानमंत्री भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय :– भारत रत्न की पात्रता – एवं वापसी

मान्यवर महोदय,

भारत रत्न से अलंकृत एवं सम्मानित करने के पीछे यही भावना रहती है कि देश के प्रति संबंधित महानुभाव का कितना अमुल्य योगदान रहा। किन्तु जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पदो पर पहुंच चुका हो और देशवासियो ने उस व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर बिठाया वह उसके योगदान के पुरूस्कार स्वरूप ही है। यदि उसके पश्चात् कुछ भी उनकी विशेष उपलब्धी पद पर रहते हुए हुई है वह उस पद पर रहने से ही संभव हो पाई है। सर्वोच्च पदो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप मे विश्व की जनता उन्हे स्वाभाविक रूप से दीर्घकाल तक स्मरण करती रहेगी।

अतः इस विषय मे मंथन, चिंतन एवं योग्य निर्णय लेने की आवश्यकता है कि उक्त संवैधानिक पदो पर जो भी शख्स पदासीन रहा हो उन्हे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान करने की आवश्यकता ही नही है और डॉ

"भारत गौरव" अभियान

❑ राजनैतिक ❑ प्रशासनिक ❑ सामाजिक सुधार के लिये समर्पित

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राधाकृष्णन,, श्री लालबहादुर शास्त्री, डॉ जाकीर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री मति इंदिरागांधी, श्री राजीव गांधी, श्री मोरारजी देसाई, डॉ. अब्दुल कलाम आदि को भारत रत्न की आवश्यकता नही है क्योकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर विराजित एवं इन पदो को सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी तो सर्वोच्च नागरिक होते हुए अतिसम्मानित एवं अतिविशिष्ट होते हुए भारत रत्न ही हुए।

अतः एक कठोर, अप्रिय किन्तु व्यवहारिक कदम उठाते हुए भारत मे सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पदो पर आसीन विभूतियो के न केवल भारत रत्न सम्मान वापस लिया जाना चाहिये बल्कि भविष्य मे यदि भारत रत्न से पूर्व मे ही सम्मानित हो चुके किसी व्यक्ति को इन उच्च पदो पर शपथ दिलाई जाती है तो उससे पूर्व यह सम्मान वापस भी लिया जाना चाहिये।

भारत रत्न से सम्मानित सर्वोच्च नागरिक गैर राजनैतिक होने पर ही निर्विवादित और सर्वसम्मानित हो सकता है। भारत रत्न यदि किसी खिलाडी को देने का प्रावधान नही था तो यह भी प्रावधान होना चाहिये कि किसी सकिय राजनीतिज्ञ को न दिया जावे। भारत रत्न, पदम श्री , पद्म विभुषण सहित सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने वाली समिति निर्वाचन आयोग सर्वोच्च, न्यायालय व सीबीआई की भांति स्वतंत्र व निष्पक्ष एंजेंसी के रूप मे गठित होनी चाहिये।इति, दिनांक :19/11/2013

भवदीय

अनिल झालानी